सारण समाहरणालय,
(जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय)

—: सूचना :—

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु सारण जिला अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास विष्णुपुरा, छपरा सारण में छात्रों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विवरणी निम्नवत है :—

क्र0	छात्रावास का नाम	कोटि	क्षमता	रिक्ति
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास विष्णुपुरा, छपरा, सारण।	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग	100	47 (दिव्यांगजन छात्रों के लिए 05 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगा)

उक्त छात्रावास में रिक्त स्थानों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन तिथि से 30 कार्य दिवस तक विभागीय पोर्टल (https://bcebconline.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, सारण में संपर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र— 8527501500

आवेदन की प्रक्रियाः—

1. चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन मार्गदर्शिका—2022) होगा।
2. आवेदक सारण जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
3. छात्रों का आवेदन केवल ई—कल्याण पोर्टल से ही मान्य होगा। वांछित कागजात ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. प्राप्त आवेदनों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. अभिभावक की अधिकतम आय तीन लाख से कम होनी चाहिए।
6. आवेदन के साथ निम्नांकित प्रमाण—पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा :—

(i) आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रति में।
(ii) Rtps नम्बर युक्त जाति, आय एवं निवास प्रमाण—पत्र।
(iii) सारण जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
(iv) आधार कार्ड की छायाप्रति।
(v) विगत परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति।
(vi) बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) एवं आधार सीडिंग बैंक खाता।
(vii) चरित्र प्रमाण—पत्र की प्रति।
(viii) अध्ययनरत संस्थान के प्रार्चाय द्वारा Letter of Recommendation ।

नामंकित छात्रों के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ :—

(क) प्रति माह 2000 रूपया छात्रवृत्ति।
(ख) प्रति माह 15 किलोग्राम आनाज।
(ग) बेड, मछरदानी, बुकसेल्फ, अलमीरा, स्टडीटेबल, लाईबेरी, डिजिटल अध्ययन केन्द्र, 24 घंटे बिजली आदि।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति का होगा।

Sd/-
20.5.26

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सारण, छपरा।